

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 148 ]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 12 जून 2024—ज्येष्ठ 22, शक 1946

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 12 जून 2024

क्र. 8918-78-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 5 जून 2024 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

## मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ७ सन् २०२४

## मध्यप्रदेश विनियोग ( क्रमांक -३ ) अधिनियम, २०२४

[ दिनांक 5 जून, 2024 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई ; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण )" में दिनांक 12 जून, 2024 को प्रथमबार प्रकाशित की गई. ]

३१ मार्च, २०१७ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर उन रकमों से, जो उन सेवाओं के लिये और उस वर्ष के लिये मंजूर की गई थी, अधिक व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिये मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से धन के विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

## संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-३) अधिनियम, २०२४ है.

३१ मार्च, २०१७ को समाप्त हुए वर्ष के कतिपय अधिक व्यय की पूर्ति करने के लिये मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से रुपये २३,७७,००,१८८ का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम ( ३ ) में विनिर्दिष्ट वे राशियां, जिनका कुल योग रुपए तेईस करोड़ सतहत्तर लाख एक सौ अठासी होता है, उक्त अनुसूची के कॉलम ( २ ) में विनिर्दिष्ट सेवाओं की बाबत प्रभारों को चुकाने के लिये ३१ मार्च, २०१७ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान उन रकमों से, अधिक व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिये दी और उपयोजित की जाने के लिये प्राधिकृत की गई समझी जाएंगी.

## विनियोग.

३. इस अधिनियम के अधीन मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित की जाने के लिए प्राधिकृत की गई समझी गई राशियां, अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिये ३१ मार्च, २०१७ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के संबंध में विनियोजित की गई समझी जाएंगी.

## अनुसूची

( धारा २ और ३ देखिए )

(१) अनुदान का क्रमांक	(२) सेवाएं और प्रयोजन	(३) आधिक्य			
		पूंजीगत/राजस्व	मतदत्त रुपये	भारित रुपये	योग रुपये
०२.	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय.	राजस्व	२३,७७,००,१८८	-	२३,७७,००,१८८
योग :		राजस्व :	२३,७७,००,१८८	-	२३,७७,००,१८८
		महायोग :	२३,७७,००,१८८	-	२३,७७,००,१८८

भोपाल, दिनांक 12 जून 2024

क्र. 8918-78-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 3) अधिनियम, 2024 (क्रमांक 7 सन् 2024) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

NO. 7 OF 2024

THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION (NO. 3) ACT, 2024

[Received the assent of the Governor on the 5<sup>th</sup> June, 2024; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 12<sup>th</sup> June, 2024.]

**An Act to provide for the Authorization of appropriation of money out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh to meet the amounts spent on certain services during the financial year ended on the 31<sup>st</sup> day of March, 2017 in excess of the amounts granted for those services and for that year.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy-fifth year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation (No. 3) Act, 2024.

Short title.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh the sums specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of Rs. Twenty Three Crore Seventy Seven Lakh One Hundred Eighty Eight shall be deemed to have been authorised to be paid and applied to meet the amount spent on defraying the charges in respect of the services specified in column (2) of the said Schedule during the financial year ended on the 31<sup>st</sup> day of March, 2017 in excess of the amounts granted for those services and for that year.

Issue of  
Rs. 23,77,00,188 out  
of the Consolidated  
Fund of the State of  
Madhya Pradesh to  
meet certain excess  
expenditure for the  
year ended on  
31<sup>st</sup> March, 2017.

3. The sums deemed to have been authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh under this Act, shall be deemed to have been appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the financial year ended on the 31<sup>st</sup> day of March, 2017.

Appropriation.

THE SCHEDULE  
(See Sections 2 and 3)

(1) No. of Vote	(2) Services and purposes Capital / Revenue	(3) Excess			
		Voted	Charged	Total	
		Rs.	Rs.	Rs.	
02.	Other expenses related to General Administration Department	Revenue	23,77,00,188	-	23,77,00,188
	Total	Revenue	23,77,00,188	-	23,77,00,188
	<b>Grand Total</b>		23,77,00,188	-	23,77,00,188